न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया।

विविध वाद संख्या–51/2019–20

प्रथम पक्षः–रामचन्द्र महतो एवं अन्य, ग्राम–सराढु, थाना–टण्डवा, जिला–चतरा।

बनाम

द्वितीय पक्षः–नागेश्र सिंह एवं अन्य, ग्राम–सराढु, थाना–टण्डवा, जिला–चतरा।

1 | 2 | 3

आदेश

1. इस वाद की प्रक्रिया आवेदक–रामचन्द्र महतो एवं अन्य, पिता–स्व0 गांगो महतो, साकिन–सराढु, थाना–टण्डवा, जिला–चतरा के द्वारा अंचल अधिकारी, टण्डवा के विविध वाद संख्या–09/2011–12 में दिनांक–28.04.2012 में पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया है। इसमें द्वितीय पक्ष नागेश्वर सिंह एवं अन्य, पिता–चन्दरी मेहरबान सिंह, साकिन–सराढु, थाना–सिमरिया, जिला–चतरा है। प्रक्रिया से संबंधित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :–

मौजा का नाम	खाता नं0	प्लॉट संख्या	कुल रकबा	मधे रकबा
सराढु	39	366/1957	1.42 एकड़	1.01 एकड़

2. अंचल अधिकारी, टण्डवा ने इस भू–खण्ड के संदर्भ में आदेश पारित कर निष्कर्ष में यह उल्लेख किया है कि खेसरा संख्या–366/1997, रकबा–1.01 एकड़ भूमि का जमींदार चौ0 मेहरबान सिंह द्वारा सादा हुकुमनामा के आधार पर रीझन हजाम के नाम से पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–37/1 पर जमाबन्दी कायम हुआ, जिसमें अन्य खाता–16 शामिल है, जिसका कुल रकबा–1.01 एकड़ है तथा लगान रसीद वर्ष–1978–79 से 1988–89 तक निर्गत हुआ है।
3. इसके बाद रकबा–1.01 एकड़ भूमि रीझन हजाम के द्वारा बिक्री होकर दाखिल–खारिज वाद संख्या–363/88–89 से भू–हस्तांतरित होकर पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–16/8 पर नागेश्वर सिंह वो सुदेश्वर सिंह वो हरिहर सिंह, पिता–चन्दरी मेहरबान सिंह के नाम से जमाबन्दी कायम होकर लगान रसीद निर्गत हो रहा है तथा इनके दखल–कब्जा में है।
4. केवाला संख्या–4962 दिनांक–20.04.1982 में लिखा गया, जिसमें खेसरा संख्या–3667/1957 दर्ज है। हुकुमनामा के आधार पर रीझन हजाम के नाम से जमाबन्दी वर्ष–1978–79 से कायम किया गया है। इस प्रकार दाखिल–खारिज एवं दखल–कब्जा के खाता संख्या–39, प्लॉट नं0–366/1957 में द्वितीय पक्ष का चला आ रहा है। उक्त प्लॉट पर द्वितीय पक्ष का हक बनता है। साथ हीं कोई पक्ष असंतुष्ट हो तो सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है।
5. इस वाद की प्रक्रिया में प्रथम पक्ष द्वारा इस न्यायालय को लिखित कथन के माध्यम से यह अवगत कराया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–सराढु के खाता नं0–39, प्लॉट नं0–366/1957, कुल रकबा–1.42 एकड़, मधे रकबा–1.01 एकड़ भूमि से संबंधित है।

Scanned with OKEN Scanner

6. यह कि प्रश्नगत भूमि के सर्वे खतियान में लट्टू कोयरी के नाम से दर्ज है। लट्टू कोयरी के मृत्यु के उपरान्त एक मात्र पुत्र छतर कोयरी दखल–कब्जा में आये। छतर कोयरी के मृत्यु के बाद दो पुत्री 1. बुधनी देवी, पति–गांगो महतो, तथा 2. बिलसी देवी, पति–पुनीत महतो हुए तथा दखल–कब्जा में आये। बुधनी देवी के चार पुत्र हुए। 1. रामचन्द्र महतो, 2. रामप्रवेश महतो, 3. रामदुलार महतो तथा 4. रामलखन महतो। बिलसी देवी के भी चार पुत्र हुए। 1. महादेव महतो, 2. सहदेव महतो, 3. सुगु महतो, तथा 4. ननकु महतो। (सभी आठ पुत्र आवेदक हैं।)

7. यह कि उपरोक्त भूमि पर सभी संयुक्त रूप से दखल–कब्जा एवं जोत–कोड़ करते आ रहें हैं तथा साल–दर–साल सरकारी मालगुजारी रसीद भी निर्गत हो रही है। यह कि यदि लट्टू कायेरी के द्वारा 14.05.1929 को इस्तिफानामा दे दिया गया था, तो फिर सन्–1961–62 तक लट्टू कोयरी के पुत्र छतर कायेरी के नाम से लगान रसीद कैसे निर्गत किया गया। यह कि लट्टू कोयरी के द्वारा कभी भी प्रश्नगत भू–खण्ड न तो बिक्री की गई है और न हीं कभी इस्तिफानामा किया गया है।

8. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा दाखिल दिनांक–14.05.1929 का इस्तिफानामा जाली एवं बनावटी है। यह कि द्वितीय पक्ष कभी भी प्रश्नगत भू–खण्ड पर दखल–कब्जा में नहीं रहें हैं। यह कि द्वितीय पक्ष जाली एवं बनावटी कागजातों के आधार पर अवैध तरीके से जमाबन्दी कायम करा लिए हैं।

9. प्रथम पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश वाद सख्या–09/2011–12, दिनांक–28.04.2012 की सत्यापित प्रति, लगान रसीद की प्रति एवं विविध वाद संख्या–11/1990–91 की आदेश की प्रति संलग्न किया है।

10. दूसरी ओर द्वितीय पक्ष ने लिखित कथन के माध्यम से इस न्यायालय को यह बताया है कि प्रश्नगत भू–खण्ड खतियानी रैयत लट्टू कोयरी द्वारा आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण लगान देने में असमर्थ थे, जिसके बाद लट्टू कोयरी के द्वारा दिनांक–14.05.1929 ई0 को खाता नं0–39, प्लॉट नं0–366/1957, कुल रकबा–1.42 एकड़, मधे रकबा– 1.01 एकड़ भूमि जमींदार चौधरी मेहरबान सिंह के पास इस्तिफानामा डीड नं0–1251 के माध्यम से कर दिया।

11. यह कि इस्तिफानामा डीड संख्या–1251 में पहचानकर्त्ता के रूप में खतियानी रैयत के पुत्र–छतर कोयरी हैं। यह कि चौधरी मेहरबान सिंह इस्तिफानामा डीड संख्या–1251 से प्राप्त होने के बाद उक्त भूमि पर दखल–कब्जा में आए।

12. यह कि संवत 1997 में प्रश्नगत भू–खण्ड हुकुमनामा से रीझन हजाम, पिता–देवनाथ हजाम को प्राप्त हुआ तथा जमींदारी रसीद प्राप्त किये।

13. यह कि जमींदारी प्रथा समाप्त होने के बाद दाखिल–खारिज कराकर सरकारी लगान रसीद प्राप्त किये। यह कि रीझन हजाम ने दिनांक–20.04.1982 को केवाला संख्या–4962 के माध्यम से नागेश्वर सिंह, सुदेश्वर सिंह एवं हरिहर सिंह के नाम से बिक्री कर दिया।

Scanned with OKEN Scanner

14. यह कि नागेश्वर सिंह एवं अन्य के द्वारा दाखिल–खारिज वाद संख्या–363/1988–89 के माध्यम से जमाबन्दी कायम कराकर सरकारी लगान रसीद निर्गत कराया तथा दखल–कब्जा में आए।

15. यह कि प्रथम पक्ष के छतर कोयरी के दोनों पुत्री बुधनी देवी एवं बिलसी देवी शादी के पश्चात से ही अपने–अपने सुसराल में वाश करते आ रहीं है। प्रश्नगत भू–खण्ड पर प्रथम पक्ष का कभी भी दखल–कब्जा, जोत–कोड नहीं रहा है।

16. द्वितीय पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में सर्वे रैयत का इस्तिफानामा की प्रति, रीझन हजाम का हुकुमनामा की प्रति, नागेश्वर सिंह के नाम पर केवाला संख्या–4962/20.04.1982 की प्रति, रीझन हजाम का सरकारी लगान रसीद सन्–1997 से 2001 की प्रति, 1956 से 2014 तक लगान रसीद की प्रति एवं ग्राम–पंचायत–सराढु का नक्शा संलग्न किया है।

17. संबंधित वाद में निबंधित केवाला संख्या–4962/20.04.1982 का उल्लेख है, जिसे प्रथम पक्ष के द्वारा अपने लिखित कथन में गलत ठहराया है, क्योंकि निबंधित केवाला रद्द करने की शक्ति इस न्यायालय को नहीं है। उक्त भूमि मौजा–सराढु के खाता नं0–39, प्लॉट नं0–366/1957, कुल रकबा–1.42 एकड़, मधे रकबा–1.01 एकड भूमि पर लम्बे समय से जमाबन्दी चली आ रही है, जैसा कि 2008 (3) JCR 639 (Jharkhand) ***Dineshwar Prasad V/s Jharkhand State*** में कहा गया है कि ***"Long running jamabandi cannot be cancelled except by decree or order of competent court"*** लम्बे समय से चली आ रही जमाबन्दी को रद्द करने की शक्ति इस न्यायालय में निहित नहीं है।

18. इस प्रकार इस वाद की प्रक्रिया में उभय पक्षों के द्वारा दाखिल लिखित कथन, अचंल अधिकारी, टण्डवा द्वारा विविध वाद संख्या–09/2011–12 में दिनांक–28.04.2012 को पारित आदेश तथा विद्वान अधिवक्ता के तर्क सूनने के बाद यह स्पष्ट होता है कि मामला हक–हकियत, निबंधित केवाला, लम्बे समय से चली आ रही जमाबन्दी को रद्द करने से संबंधित है।

19. वर्णित स्थिति में यह मामला सिविल प्रवृत्ति का प्रतीत हो रहा है, क्योंकि सभी पक्षकारगण हक–हकियत को लेकर विवाद कर रहें हैं। हक–हकियत, निबंधित केवाला, लम्बे समय से चली आ रही जमाबन्दी को रद्द करने से संबंधित मामले में सक्षम न्यायालय व्यवहार न्यायालय हीं है। अतः सभी पक्षकारगणों को सक्षम न्यायालय में न्याय–निर्णय हेतु जाने का निर्देश दिया जाता है तथा वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

09/02/2024

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

09/02/2024

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

Digitally signed by SUNNY RAJ
Date: 2024.07.18 18:16:29 +05:30
Location: 192.168.209.12

Scanned with OKEN Scanner